प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 17 जुलाई, 2017

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के अनुसार आवासों के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अनेक जनपदों से प्राप्त संदर्भो के माध्यम से संज्ञान में आया है कि योजनान्तर्गत एस0ई0सी0सी0-2011 के आधार पर बनायी गई पात्र लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची में कतिपय अपात्र व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं और कतिपय पात्र व्यक्तियों के नाम छूट गये हैं।

2- योजना की मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर-4 में पात्रता सूची तैयार करने हेतु एक व्यवस्था निर्धारित की गयी है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी है। गाइड लाइन के प्रस्तर-4.5.3 में स्पष्ट उल्लेखित है कि **"अपील समिति प्राथमिकता सूची से हटाए जाने या वरीयता क्रम में बदलाव के विरूद्ध रिपोर्ट में की गयी शिकायतों पर विचार करेगी और निर्धारित समय सीमा में शिकायत का निपटान करेगी।"**

प्रस्तर-4.5.4 में यह व्यवस्था है कि **"अपील समिति द्वारा ग्राम पंचायत के सभी मामलों को निपटाए जाने के पश्चात प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट वरीयता देते हुए प्रत्येक श्रेणी की ग्राम पंचायत-वार अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्षित की जाएगी और इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा। यह स्थायी प्रतीक्षा सूची पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जाएगी।"** उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार तैयार की गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची में से किसी का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी की जाँच के हटाया जाना न्यायसंगत नहीं है।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-

(1) कृपया विधिवत् यह सुनिश्चित करा लिया जाए कि स्थायी पात्रता सूची में से अपात्रों के नाम, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराते हुए, समयबद्ध रूप से हटा कर यह निर्धारित किया जाय कि कोई अपात्र लाभान्वित न हो। इसके लिए ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर व जिला स्तर पर सघन परीक्षण भी किया जाय और आवश्यकतानुसार जनपद के अधिकारियों से क्रास चेकिंग भी करायी जाय। इस कार्यवाही को हर हाल में 30 जुलाई,2017 तक पूर्ण कर लिया जाय।

(2) तदुपरान्त तैयार की गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची को ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थलों पर लिखवाने (वाल राइटिंग) तथा सूची की राईटिंग के साथ ही साथ निम्नानुसार भी सूचना अंकित करायी जायः-

(क) उपर्युक्त स्थायी प्रतीक्षा सूची में कोई अपात्र व्यक्ति सम्मिलित हो तो, इसके संबंध में खण्ड विकास अधिकारी अथवा जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त सूची में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो, इसके संबंध में खण्ड विकास अधिकारी अथवा जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया जाय।

(ग) आवासों के आवंटन में यदि कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो, इसके संबंध मे मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी को अवगत कराया जाय एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित मोबाइल नम्बर पर अवगत कराया जाए। इस हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी एक दूरभाष नम्बर निर्धारित करेंगे और उस जनपद की प्रत्येक वाल राइटिंग में उस नम्बर को अंकित किया जायेगा। यह वाल राइटिंग प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक दशा में दिनांक 10.08.2017 तक करा कर, आयुक्त, ग्राम्य विकास को अवगत कराया जाय।

(3) इसी प्रकार से जो पात्र लाभार्थी इस सूची में आने से छूट गए हैं, उनकी सूची, निर्धारित प्रारूप में, दिनांक 30.07.2017 तक आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 को भिजवा दी जाय।

(4) यदि यह पाया जाता है कि किसी कर्मचारी/अधिकारी/ग्राम प्रधान इत्यादि की संलिप्तता से किसी अपात्र को लाभान्वित किया गया है तो उनके विरूद्ध, विधि के प्राविधानों के तहत कड़ी कार्यवही की जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक दशा में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कृपया यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त समयबद्ध कार्यवाई के साथ ही विभाग के अन्य कार्य भी समयबद्ध रूप से निष्पादित किए जाएं। वर्ष 2016-17 के सभी लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त 31 जुलाई,2017 तक अवश्य पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए और वर्ष 2017-18 के शत-प्रतिशत लाभार्थियों का चयन दिनांक 31.08.2017 तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

संख्या-20/2017/778(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- ।

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।